1/11/2021-पी&पी डब्ल्यू (ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

(डेस्क-ई)

तीसरा तल, लोक नायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 03 जून, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके कुटुंब को कुटुंब पेंशन, मृत्यु उपदान और अन्य बकायों का संदाय- संबंधित

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 महामारी की नई लहर के कारण बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है। कई मामलों में, मृतक कर्मचारी अपने परिवारके एकमात्र आजीविका अर्जकथे और इस जनहानि ने परिवारों को उजाड़ दिया है तथा आजीविका के लिए धन की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है कि मृतक कर्मचारियों की बाबत कुटुंब पेंशन और अन्य हकदारियां उनके परिवारों को यथाशीघ्र जारी की जाएं।

2. कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति और बैंक के माध्यम से इसके संवितरण की प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि इसमें वेतन और लेखा अधिकारी (पीएओ) तथा केंद्रीय वेतन और लेखा अधिकारी (सीपीएओ) का संदर्भ शामिल होता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 80-क में यह प्रावधान है कि पेंशन संदाय आदेश(पीपीओ) जारी करने में देरी होने के मामले में, अनंतिम कुटुंब पेंशन और अनंतिम मृत्यु उपदान का संदाय किया जा सकता है।

3. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 29 जुलाई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन सं.1/11/2020-पी&पीडब्ल्यू(ई) द्वाराये निर्देश जारी किए हैं कि परिवार के पात्र सदस्य से कुटुंब पेंशन के लिए दावा और मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, कुटुंब पेंशन मामले को वेतन और लेखा कार्यालय(पीएओ) को अग्रेषित करने की प्रतीक्षा किए बिना, कार्यालयाध्यक्ष तत्काल ही अनंतिम कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति जारी करेगा। नियम 80-क में प्रावधान है कि कुटुंब पेंशन/मृत्यु उपदान मामले को पीएओ को अग्रेषितकिए जाने के पश्चात, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनंतिम मृत्यु उपदान का संदाय किया जा सकेगा।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त नियमों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें और यह सुनिश्चित करें कि परिवार के पात्रसदस्य से दावा (मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ) प्राप्त होने पर,कार्यालयाध्यक्ष द्वारा तत्काल ही अनंतिम कुटुंब पेंशन का संदाय शुरू किया जाए और पीएओ को मामला अग्रेषित करने के पश्चात तत्काल ही नामितों/परिवार के सदस्यों को अनंतिम मृत्यु उपदान का संदाय किया जाए।

5. साथ ही, बैंक के माध्यम से नियमित कुटुंब पेंशन के संवितरण तथा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार की अन्य हकदारियों के संदाय हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। **यह सुनिश्चित किया जाए कि कुटुंब पेंशन के लिए दावा प्राप्त होने के एक माह के भीतर कुटुंब पेंशन के लिए पेंशन संदाय आदेश(पीपीओ) जारी किया गया है और बैंक द्वारा नियमित कुटुंब पेंशन का संवितरण शुरू कर दिया गया है।**

6. सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार की सभी हकदारियों कातत्काल संवितरण करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, दो अलग-अलग टिप्पण- पहला पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की बाबत और दूसरा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों की बाबत-क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II पर संलग्न किए गए हैं।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख को निम्नलिखित प्रारूप में प्रशासनिक विभाग के सचिव को एक मासिक विवरण प्रस्तुत किया जाएगा:

सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु 1.1.2020 के बाद हुई, का नाम और पद	अनंतिम कुटुंब पेंशन और अनंतिम उपदान संस्वीकृत करने की तारीख	पीपीओ जारी करने की तारीख	अन्य हकदारियां संदाय करने की तारीख	विलंब, यदि कोई हो, तो उसके कारण,और भविष्य में विलंब से बचने के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई

8. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मंत्रालय/विभाग और उसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की बाबत एक समेकित विवरणी इस विभाग को भेजी जाए।

(संजय शंकर)
भारत सरकार के उप सचिव
टेलीफोन-24644632

सेवा में,

1. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव,
2. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड,
3. सचिव, डाक विभाग, सचिव दूरसंचार,
4. सचिव, रक्षा मंत्रालय
5. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग
6. लेखा महानियंत्रक का कार्यालय
7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
8. सभी सार्वजनिक क्षेत्र/पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुबंध-I

सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर कुटुंब की हकदारी

(1) पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर कुटुंब की हकदारी

क. कुटुंब पेंशन :

रकम : मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए अंतिम वेतन का 50%। तत्पश्चात अंतिम वेतन के 30% की दर से।

(संशोधित नियम 54(3) के अनुसार, मृत कर्मचारी की सेवा की अवधि के संदर्भ के बिना वेतन के 50% की दर से बढ़ी हुई कुटुंब पेंशन, 10 वर्ष तक की अवधि तक सभी मामलों में देय है)

कुटुंब के सदस्यों की पात्रता : कुटुंब पेंशन निम्नलिखित क्रम में कुटुंब के सदस्यों को संदत्त की जाएगी :-

क्रम सं.	कुटुंब का पात्र सदस्य	पात्रता की शर्तें
1.	मृत सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति	आजीवन या पुनर्विवाह होने तक
2.	पति/पत्नी की अनुपस्थिति में, 25 वर्ष से कम आयु के अविवाहित आश्रित* पुत्रया अविवाहित आश्रित* पुत्री (प्रथमत: ज्येष्ठ बच्चा पात्र होगा। अन्य केवल ज्येष्ठ बच्चे के अपात्र होने के पश्चात ही पात्र होगा(होंगे)	(i) 25 वर्ष की आयु होने तक या (ii) विवाह होने तक या (iii) आजीविका अर्जित करना शुरू करने तक, जो भी पहले हो
3.	उपर्युक्त (1) और (2) न होने पर, मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त आश्रित** बच्चा	आजीवन या आजीविका अर्जित करना शुरू करने तक
4.	उपर्युक्त (1), (2) और (3) न होने पर, आश्रित* अविवाहित/विधवा/तलाक़शुदा पुत्री(बिना आयुसीमा के) (प्रथमत: ज्येष्ठ पुत्री पात्र होगी)	(i) विवाह/पुनर्विवाह होने तक या (ii) आजीविका अर्जित करना शुरू करने तक, जो भी पहले हो
5.	उपर्युक्त (1), (2), (3) और (4) न होने पर, आश्रित* माता-पिता(प्रथमत: माता)	आजीवन या आजीविका अर्जित करना शुरू करने तक
6.	उपर्युक्त (1), (2), (3), (4) और (5) न होने पर, मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त आश्रित** सहोदर	आजीवन या आजीविका अर्जित करना शुरू करने तक

* कोई बच्चा(मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त बच्चे के अलावा) और माता-पिता तब ही पात्र होंगे यदि अन्य स्त्रोतों से उनकी आय न्यूनतम कुटुंब पेंशन(अर्थात 9000/- रूपए प्रतिमास) और उस पर देय महंगाई राहत से कम है।

** मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त कोई बच्चा या सहोदर पात्र होगा यदि अन्य स्त्रोतों से उसकी कुल आय सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर स्वीकार्य कुटुंब पेंशन और उस पर देय महंगाई राहत से कम है।

कुटुंब पेंशन के लिए दावेदार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज़ : (i) प्ररूप 14 में आवेदन (ii) मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति (iii) नातेदारी का प्रमाण (iv) जन्मतिथि का प्रमाण (v) पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति (vi) पैन कार्ड की प्रति (vii) नमूना हस्ताक्षर और (viii) पासपोर्ट आकार की फोटो

कार्यालय अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :

- दावा प्राप्त होने पर, मामले को वेतन एवं लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने या वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकार देने की प्रतीक्षा किए बिना, कुटुंब के पात्र सदस्य को अनंतिम कुटुंब पेंशन की तत्काल मंजूरी।(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 29 जुलाई, 2020 का का.ज्ञा.सं. 1/11/2020-पी&पीडबल्यू(ई))
- कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान के लिए भविष्य पर, अलग से मामले पर कार्यवाही की जाए और आगे के प्रक्रमण/प्राधिकरण के लिए वेतन एवं लेखा अधिकारी को अन्य दस्तावेजों के साथ प्ररूप 18 में मामले का अग्रेषण।(नियम 80)
- एचबीए, अनुज्ञप्ति फीस इत्यादि जैसे सरकारी शोध्यों को मृत्यु उपदान से वसूल किया जाए।

ख. मृत्यु उपदान:

अर्हक सेवा की अवधि	**मृत्यु उपदान की दर**
(i) एक वर्ष से न्यून	परिलब्धियों का दोगुना
(ii) एक वर्ष या अधिक किन्तु पाँच वर्ष से न्यून	परिलब्धियों का छह गुना
(iii) पाँच वर्ष या अधिक किन्तु ग्यारह वर्ष से न्यून	परिलब्धियों का बारह गुना
(iv) ग्यारह वर्ष या अधिक किन्तु बीस वर्ष से न्यून	परिलब्धियों का बीस गुना
(v) बीस वर्ष या अधिक	अर्हक सेवा की पूरी की गई प्रत्येक छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों का आधा, किन्तु परिलब्धियों के अधिकतम तैंतीस गुने के अधीन रहते हुए:

मृत्यु उपदान की अधिकतम रकम : 20 लाख रूपए

पात्रता:

- उपदान, कुटुंब के उस सदस्य या उन सदस्यों अथवा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को संदत्त किया जाना है जिसके पक्ष में वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में है। यदि एक से अधिक नामिति हैं, तो उपदान की रकम नामनिर्देशन में यथाविनिर्दिष्ट रूप से सभी नामितियों में बांटी जाएगी।
- यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से पहले ही नामिती की मृत्यु हो गई हो तो उपदान उसके बाद के नामिति या नामितियों को संदत्त किया जाएगा, यदि नामनिर्देशन प्ररूप में उल्लेखित हो।
- यदि कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया या नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है तो उपदान की रकम पति/पत्नी, पुत्र/पुत्रों, अविवाहित पुत्री/पुत्रियों और विधवा पुत्री/पुत्रियों में बराबर अंशों में बांटी जाएगी।
- यदि कुटुंब में उपर्युक्त कोई सदस्य नहीं है तो उपदान की रकम कुटुंब के अन्य सदस्यों अर्थात पिता, माता, विवाहित पुत्रियों, 18 वर्ष सेकम आयु के भाइयों, अविवाहित/विधवा बहनों और पूर्व-मृत पुत्र के बच्चों में बराबर अंशों में बांटी जाएगी।
- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कीतब ही मांग की जाएगी जब कोई वैध नामनिर्देशन नहो और उपर्युक्त उल्लिखित कुटुंब का कोई सदस्य भी न हो।

<u>उपदान के लिए दावेदार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज़</u>: (i) प्ररूप 12 में आवेदन (ii) मृत्यु प्रमाणपत्र (iii) पैन कार्ड की प्रति (iv) बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ (v) नातेदारी का प्रमाण

<u>कार्यालय अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :</u>

- मृत्यु उपदान(कुटुंब पेंशन सहित) के लिए मामले का भविष्य पर प्रक्रमण और आगे के प्रक्रमण/प्राधिकरण के लिए अन्य दस्तावेजों के साथ वेतन एवं लेखा अधिकारी को प्ररूप 18 में मामले का अग्रेषण।
- वेतन एवं लेखा अधिकारी को मामला अग्रेषित करने के पश्चात, नियम 80-क के अनुसार अनंतिम मृत्यु उपदान की मंजूरी

<u>(ग) छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद(छुट्टी नकदीकरण)</u>

केन्द्रीय सिविल सेवा(छुट्टी), नियमावली, 1972 के नियम 39-क के अनुसार, 300 दिन से अनधिक अर्जित अवकाश के लिए छुट्टी के वेतन के समतुल्य नकद कुटुंब को संदेय है। यदि मृत सरकारी कर्मचारी के खाते में 300 दिन से कम अर्जित अवकाश है, 300 दिन के अर्जित अवकाश को पूरा करने लिए, अर्ध-वेतन छुट्टी का नकदीकरण किया जाता है।

पात्रता : इस क्रम में उपलब्ध कोई एक कुटुंब का सदस्य -> पति/पत्नी, ज्येष्ठ उत्तरजीवी पुत्र, ज्येष्ठ उत्तरजीवी अविवाहित पुत्री, ज्येष्ठ उत्तरजीवी विधवा पुत्री, माता/पिता, ज्येष्ठ उत्तरजीवी विवाहित पुत्री, 18 वर्ष से कम आयु का ज्येष्ठ उत्तरजीवी भाई, ज्येष्ठ उत्तरजीवी अविवाहित बहन, ज्येष्ठ उत्तरजीवी विधवा बहन, ज्येष्ठ पूर्व-मृत पुत्र का ज्येष्ठ बच्चा।
कार्यालय अध्यक्ष द्वारा छुट्टी नकदीकरण, इस प्रयोजन के लिए किसी आवेदन की मांग किए बिना मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर प्रक्रमित/मंजूर किया जाता है।

घ. केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना(सीजीईजीआईएस)

रकम : सीजीईजीआईएस की बचत निधि में जमा रकम के अतिरिक्त, समूह क, समूह ख और समूह ग केअंतर्गत आने वाले मृत कर्मचारी के कुटुंब को क्रमशः रु. 1,20,000/-, रु. 60,000/- और रु. 30000/- की रकम संदत्त की जाती है।

कुटुंब सदस्यों की पात्रता:

- सीजीईजीआईएस रकम कुटुंब के उस सदस्य या उन सदस्यों अथवा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को संदत्त की जाती है जिनके पक्ष में कोई वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में है।
- नामनिर्देशन नहीं किए जाने पर, मृत्यु उपदान के संदाय के लिए प्रवृत्त नियमों के अनुसार कुटुंब के पात्र सदस्यों को रकम संदत्त की जाती है।
- सीजीईजीआईएस के लिए दावा, इस प्रयोजन के लिए किसी आवेदन की मांग किए बिना मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर प्रक्रमित/मंजूर किया जाता है।

इ . सामान्य भविष्य निधि(जीपीएफ़)

- मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, मृत सरकारी कर्मचारी के जीपीएफ़ खाते में अधिशेष रकम कुटुंब के उस सदस्य या उन सदस्यों को मंजूर की जाती है जिनके पक्ष में वैध नामनिर्देशन आस्तित्व में है। नामनिर्देशन नहीं किए जाने पर, जीपीएफ़ नियमों के अनुसार कुटुंब के पात्र सदस्यों को जीपीएफ़ की अधिशेष रकम संदत्त की जाती है।
- सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 33-ख के अधीन निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के अनुसार, जीपीएफ़ अधिशेष के अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले के 3 वर्ष के दौरान जीपीएफ खाते में औसत अधिशेष रकम के बराबर एक अतिरिक्त रकम भी संदत्त की जाती है, इस शर्त के साथ कि मृत्यु से ठीक पहले के 3 वर्षों के दौरान किसी भी समय जमा रकम का अधिशेष नियम 33-ख में उल्लिखित सीमा से कमनहीं हुआ।
- संदत्त की जाने वाली अतिरिक्त रकम 60,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी।
- मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर कार्यालय द्वारा जीपीएफ/डीएलआईएस के दावों को प्रक्रमित/मंजूर किया जाना होता है।

अनुबंध- 2

(1)**राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसने पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत हितलाभ का विकल्प चुना था या जिसके मामले मेंकोई विकल्प नहीं दिया गया था और डिफ़ॉल्ट विकल्प पुरानी पेंशन योजना है, की मृत्यु पर परिवार की हकदारी**

- **कुटुंब पेंशन**: पुरानी पेंशन योजना के समान
  इसके अतिरिक्त, एनपीएस पेंशन कॉर्पस में कर्मचारी का अंशदान और उसपर प्रतिलाभ का संदाय भी परिवार के सदस्य को किया जाएगा। कार्यालयाध्यक्ष कुटुंब पेंशन संस्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू करेगा और साथ ही एनपीएस के अंतर्गत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) को बंद करेगा तथा सरकारी अंशदान (और उसपर प्रतिलाभ) को सरकारी खाते में अंतरित किया जाएगा। शेषराशि का संदाय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) विनियमों के अनुसार नामित व्यक्ति या विधिक उत्तराधिकारी को एकमुश्त किया जाएगा।

- **मृत्यु उपदान**: पुरानी पेंशन योजना के समान

- **छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद (छुट्टी नकदीकरण)**: पुरानी पेंशन योजना के समान

- **केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस)**: पुरानी पेंशन योजना के समान

(2) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार की हकदारी:

(i)जिसनेविशेष रूप से एनपीएस के अंतर्गतसंचित पेंशन कॉर्पस पर आधारित हितलाभ का विकल्प किया था या

(ii) जिसने पुरानी पेंशन योजना के लिए विकल्प किया था या जिसके मामले में डिफ़ाल्ट विकल्प पुरानी पेंशन योजना है, किन्तु परिवार का कोई सदस्य पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कुटुंब पेंशन के लिए पात्र नहीं है।

- **एनपीएस कॉर्पस के आधार पर हितलाभ**: संबंधित कार्यालय मृतक सरकारी कर्मचारी के एनपीएस के अंतर्गत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या(प्रान) को बंद करने की कार्रवाई करेगा और पात्र सदस्य को एकमुश्त (संचित पेंशन धनराशि का अधिकतम 20%) रकम और पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत वार्षिकी सेवा प्रदाता से, शेष पेंशन धनराशि से वार्षिकी का हितलाभ प्रदान करेगा।

- **मृत्यु उपदान** : पुरानी पेंशन योजना के समान

- **छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद (छुट्टी नकदीकरण)** : पुरानी पेंशन योजना के समान

- **केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस**): पुरानी पेंशन योजना के समान।